न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–1, गोण्डा।

जमानत प्रार्थना–पत्र सं0–517 / 2026

C.N.R.No-UPGD01001548-2026

उमीद खॉ उम्र करीब 48 वर्ष पुत्र बाबू खॉ साकिन–कंजादारापुर, आलोक नगर, प्रेमधाम आश्रम, थाना इज्जतनगर, जनपद बरेगी, उ0प्र0।

————प्रार्थी / अभियुक्त

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य ————————————————————————**अभियोगी**

अपराध संख्या–14 / 2026
धारा–331(4), 305, 317(2) बी0एन0एस0
थाना–कोतवाली देहात, जिला–गोण्डा।

दिनांक–11.03.2026

प्रार्थी / अभियुक्त **उमीद खॉ** ने मु0अ0सं0–14 / 2026, धारा–331(4), 305, 317(2) भारतीय न्याय संहिता थाना कोतवाली देहात, जिला–गोण्डा के प्रकरण में जमानत हेतु जमानत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। जो उसके पैरोकार अमान खॉ के शपथ पत्र से समर्थित किया गया है।

अभियोजन कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा लवकुश सोनी पुत्र राज कुमार सोनी निवासी नौबरा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा का निवासी है, प्रार्थी सोने व चॉदी की दुकान सालपुर बाजार थाना कोतवाली देहात गोण्डा में करता है कि दिनांक 24.12.2025 की रात में चोरो ने पीछे से दुकान का दिवाल काटकर अन्दर घुसकर दो हार सोने का, पायल व बिछुआ चॉदी का चोरी करके चोर उठा ले गये, प्रार्थी का तबीयत खराब होने के कारण प्रार्थना पत्र देने नही आया था। इन कथनों के आधार पर प्रार्थी ने रिपोर्ट लिखकर उचित कार्यवाही किए जाने की याचना की है।

वादी मुकदमा द्वारा दी गयी उक्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात, जिला गोण्डा में मु0अ0सं0 14 / 2026, धारा–331(4), 305 भारतीय न्याय संहिता के तहत अज्ञात अभियुक्त के विरूद्ध पंजीकृत कराया गया, दौरान विवेचना बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उमीद खॉ का नाम प्रकाश में आने पर धारा 317 (2) बी0एन0एस0 की बढोत्तरी की गई है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत हेतु आधार लिया गया है कि प्रार्थी को रंजिशन मुकदमा उपरोक्त में फर्जी फंसाया गया है। कथित घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट लगभग 20 दिन बाद दर्ज कराई गई है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नही है। कथित प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध दर्ज कराई गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के पूर्व से प्रार्थी पुलिस अभिरक्षा में था। प्रार्थी का वादी मुकदमा के रिश्तेदार गंगाराम सोनी पुत्र स्व0 जानकी प्रसाद सोनी निवासी बढ़वलिया थाना कोतवाली देहात से उनके क्षेत्र में कपड़ा बेंचने को लेकर झगड़ा हुआ था और प्रार्थी को मार पीटकर बन्धक बनाकर पुलिस की मिली भगत से झूठा मुकदमा अ0सं0 11 / 2026 थाना कोतवाली देहात में दर्ज कराकर पुलिस को सौंप दिया गया था तथा गंगाराम सोनी ने प्रार्थी को कई अन्य मुकदमों में झूंठा फंसा देने की धमकी दिया था। इसी के परिणाम स्वरूप वादी को बुलाकर गंगाराम सोनी ने झूठा मुकदमा उपरोक्त दर्ज कराया गया है। प्रार्थी पूर्णतया निर्दोष है और झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थी के पास से कोई माल बरामद नही हुआ है कथित बरामदगी फर्जी दिखाई गई है। प्रार्थी दिनांक 09.01.2026 से जेल में निरूद्ध है। मुकदमा उपरोक्त दिनांक 11.01.2026 को दर्ज कराया गया है। मुकदमा मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। कथित बरामदगी की कोई फर्द नही बनाई गई है। प्रार्थी गरीब आदमी है जो कपड़ा बेंचकर किसी तरह अपना व अपने परिवार का जीविकोपार्जन करता है जेल में निरूद्ध होने से प्रार्थी का परिवार भुखमरी पर आ गया है। उक्त कथनो के आधार पर प्रार्थी ने उचित जमानत मुचलके पर रिहा किये जाने की याचना की है।

Digitally signed by NAMRATA AGRAWAL
Date: 2026.03.13 11:11:21 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अपराध की गंम्भीरता के आधार पर जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

मैनें अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की बहस सुनी तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया।

अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त पर वादी मुकदमा के सर्राफा दुकान पर दिनांक 24.12.2025 की रात्रि में दुकान की पीछे की दीवाल काटकर दुकान के घुसकर दो हार सोने के, पायल व बिछुआ चॉदी चोरी करने का अभियोग लगाया गया है। जबकि अभियुक्त ने स्वयं के ऊपर लगाये गये आक्षेप से इनकार किया है उसके कब्जे से किसी सामान की बरामदगी होने का कोई उल्लेख नही है। अभियुक्त दिनांक 09.01.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार गोण्डा में निरूद्ध है जबकि प्रथन सूचना रिपोर्ट दिनांक 11.01.2026 को दर्ज करायी गयी है। थाने से अभियुक्त का अन्य आपराधिक वाद दर्ज होने की आख्या प्राप्त करायी गयी है परन्तु किसी मामले में अभियुक्त को दोषसिद्ध होने की आख्या नही दी गयी है। अभियुक्त की ओर से मु0अ0सं0 11/2026 में जमानत माननीय सत्र न्यायालय द्वारा किए जाने का कथन भी किया गया है। अतः उपरोक्त मामले के तथ्यों परिस्थितियो के आधार पर अपराध के गुण–दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **उमीद खॉ** द्वारा मु0अ0सं0 14/2026, 331(4), 305, 317(2) भारतीय न्याय संहिता थाना कोतवाली देहात, जिला–गोण्डा के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–**517/2026 स्वीकार** किया जाता है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा **Smt. Bacchi Devi vs. State od U.P. Neutrul Citation 2025:AHC 136034,** में दिए गए निर्देश के अनुक्रम में अभियुक्त द्वारा मु0 50,000/–(पचास हजार) रूपये की एक जमानत एवं इसी धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर निम्नलिखित शर्तों की अण्डरटेंकिग प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए–

1– अभियुक्त विचारण के दौरान मामले से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरण धमकी या बचन नहीं देगा और साक्ष्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा।

2– अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा तथा आहूत किए जाने पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

3– अभियुक्त द्वारा जमानत पर छूटने के उपरान्त विचारण के दौरान इस प्रकार के मामलों में संलिप्त नहीं होगा।

4– अभियुक्त द्वारा कोई भी स्थगन साक्ष्य की अवस्था पर प्रस्तुत नहीं किया जायेगा, जबकि गवाह उपस्थित हों और आवदेक बयान के समय, 313 दं0प्र0सं0 के बयान के समय और मामले की कार्यवाही प्रारम्भ होने के समय उपस्थित रहेगा।

5– ऐसा करने में यदि उसके द्वारा कोई अनियमितता बरती जाती है तो सम्बन्धित न्यायालय को यह अधिकार होगा कि वह जमानत शर्तों का दुरूपयोग मानते हुए उसकी जमानत निरस्त कर दे और विधि सम्मत कार्यवाही अमल में लाए।

(नम्रता अग्रवाल)
J.O.Code-UP2661
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–1,
गोण्डा।

दिनांक 11.03.2026